रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2000/वैशाख 7, 1922
No. 240] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2000/VAISAKHA 7, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2000

सं. 49/2000-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 365(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट माल को, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय उतनी सीमाशुल्क से, जो मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 या धारा 3क के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय क्रमशः सपूर्ण अतिरिक्त शुल्क और विशेष शुल्क से, छूट देती है।

2. पैरा 1 में अंतर्विष्ट छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगी, अर्थात् :—

(1) आयातित माल, निर्यात और आयात नीति के पैरा 6.2 के निबन्धनों के अनुसार निर्यात संवर्धन पूंजी माल (नि०स०पू०मा०) स्कीम के अधीन जारी की गई किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आता है, जिसके द्वारा 5 प्रतिशत शुल्क की दर से माल का आयात अनुज्ञात किया गया है और उक्त अनुज्ञप्ति निकासी के समय समुचित सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा विकलन के लिए प्रस्तुत की जाती है :

परन्तु अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति की विधिमान्य अवधि वह अवधि मानी जाएगी जो सम्पूर्ण आयात बाध्यता को पूरा करने के लिए अनुज्ञात की गई हो।

(2) आयातकर्ता, से ऐसे प्ररूप में और ऐसी राशि के लिए तथा ऐसे प्रतिभू या प्रतिभूति सहित जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पोत-पर नि:शुल्क आधार पर आयातित माल की लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य के पांच गुणा या शुद्ध विदेशी मुद्रा के आधार पर लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य के चार गुणे के बराबर, जैसा कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट है या ऐसी उच्चतर राशि के लिए, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नियत की जाए, निम्नलिखित अनुपात में अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से आठ वर्ष की अवधि के भीतर, स्वयं को आबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करता है, अर्थात् :—

क्रम सं०	अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से अवधि	कुल निर्यात बाध्यता का अनुपात
1	2	3
1.	पहले और दूसरे वर्ष का ब्लाक	शून्य
2.	तीसरे और चौथे वर्ष का ब्लाक	15 प्रतिशत
3.	पांचवे और छठे वर्ष का ब्लाक	35 प्रतिशत
4.	सातवें और आठवें वर्ष का ब्लाक	50 प्रतिशत

परन्तु किसी विशिष्ट ब्लाक वर्ष की निर्यात बाध्यता को पूर्ववर्ती ब्लाकों में किए गए अधिक निर्यातों द्वारा मंजूर किया जा सकेगा।

3. आयातकर्ता, अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष के प्रत्येक ब्लाक की समाप्ति से तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या उप सीमा शुल्क आयुक्त अनुज्ञात करे, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या उप सीमा शुल्क आयुक्त को समाधान प्रद रूप में पूरी की गई निर्यात बाध्यता का परिणाम दर्शित करने से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करता है और जहां दो वर्षों के किसी विशिष्ट ब्लाक की निर्यात बाध्यता पूर्ववर्ती शत के निबंधनों के अनुसार पूरी नहीं की गई है, वहां आयातकर्ता, उक्त ब्लाक की समाप्ति से तीन मास के भीतर उतनी रकम का, जो यदि इसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती तो, माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उस भाग के बराबर का जिसका वही अनुपात है जो निर्यात बाध्यता को पूरा न किए गए भाग का कुल निर्यात बाध्यता से है, माल की निकासी की तारीख से 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित संदाय करेगा :

4. यदि आयातकर्ता, दो वर्षों के किसी विशिष्ट ब्लाक के लिए विहित निर्यात बाध्यता का लगातार दो ब्लाकों तक कम से कम 25 प्रतिशत उन्मोचित करने में असफल रहता है तो वह, यदि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती तो, आयात किए गए माल पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क का, माल की निकासी की तारीख से 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित तत्काल संदाय करने के लिए दायी होगा।

5. आयातित, संमजित या विनिर्मित पूंजी माल आयातकर्ता के कारखाने या परिसर में संस्थापित किए जाते हैं और अधिकारिता वाले यथास्थिति, सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या उप उत्पाद शुल्क आयुक्त या किसी स्वतंत्र चार्टरित इंजीनियर से आयातकर्ता के कारखाने या परिसर में पूंजी माल के संस्थापन और उपयोग की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण-पत्र, आयात के पूरा होने की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उक्त सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या उप सीमा शुल्क आयुक्त अनुज्ञात करे, प्रस्तुत किया जाता है।

परन्तु—

(i) ऐसा विनिर्माता निर्यातकर्ता और वणिक निर्यातकर्ता जिसके समर्थक विनिर्माता/विक्रेता हो ;

(ii) कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए संविदा कृषि में उपयोग के लिए सिंचाई उपस्करों का आयात, और

(iii) इम्पोर्टर रेंडरिंग सर्विसेज, की दशा में,

पूंजी माल, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति(यों) के कारखाने में या परिसर में संस्थापित किया जा सकेगा जिसका नाम और पता शर्त-(1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित किया गया है और जहां आयातकर्ता और ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा शुल्क के पूर्ण अंतर के लिए बंधपत्र, शर्त-(2) के निबन्धनानुसार जहां कहीं आवश्यक है, बैंक प्रत्याभूति सहित निष्पादित किया गया है और ऐस विनिर्माता या अन्य व्यक्ति निर्यात बाध्यता को और इस अधिसूचना की अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के लिए और व्यक्तिक्रम की दशा में ब्याज सहित शुल्क का संदाय करने के लिए स्वयं को संयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से आबद्ध करते हैं।

6. शर्त (3) और (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, निर्यात बाध्यता को पूरा करने वाली अवधि का बढ़ाया जाना मंजूर करता है या ऐसी निर्यात बाध्यता में पांच प्रतिशत से अनधिक की कमी को नियमित करता है वहां निर्यात बाध्यता को पूरा करने की उक्त अवधि को बढ़ाया जा सकेगा और सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या उप सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा माफ की गई निर्यात बाध्यता की उक्त कमी मंजूर की जा सकेगी :

परन्तु निर्यात बाध्यता की ब्लाक बार अवधि का विस्तार दो वर्ष के एक ब्लाक से अधिक के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि दो वर्ष के चौथे ब्लाक के लिए निर्यात बाध्यता की ब्लाक-बार अवधि का विस्तार एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

3. जहां माल दोष पूर्ण या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है वहां उक्त मालों का उसके आयात किए जाने पर शुल्क के संदाय की तारीख से 3 वर्ष के भीतर विदेशी प्रदायकर्ता को वापिस पुनः निर्यात किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि निर्यात के समय सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त के समाधान प्रद रूप में यह पहचान कर ली जाती है कि यह वही माल है जिसका कि आयात किया गया था।

सारणी

क्रम सं.	माल का वर्णन
(1)	(2)
1.	पूंजी माल
2.	आयातकर्ता द्वारा पूंजी माल के संमजित किए जाने वाले एस के डी/सी के डी दशा में पूंजी माल।
3.	आयातकर्ता द्वारा पूंजी माल के संमजन या विनिर्माण के लिए अपेक्षित पूंजी माल के संघटक।
4.	ऐसे अतिरिक्त पुर्जे जो वस्तुत: आयातित और क्रम सं. 1, 2 और 3 में विनिर्दिष्ट माल के मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक न हो और इस प्रकार आयातित, संमजित या विनिर्मित पूंजी माल के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित हो।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में,—

(1) "पूंजी माल" से निम्नलिखित के लिए अपेक्षित कोई संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर और उपसाधन अभिप्रेत है—

(क) अन्य माल का, जिसके अंतर्गत पैकेजिंग मशीनरी और उपस्कर, उच्च तापसह, प्रशीतन उपस्कर, शक्ति उत्पादन सेट, मशीन औजार, आरंभिक चार्ज के लिए उत्प्रेरक तथा परीक्षण, अनुसंधान और विकास, क्वालिटी तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर और उपकरण है, विनिर्माण या उत्पादन ;

(ख) विनिर्माण, खनन, कृषि, जल कृषि, पशुपालन, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, अंगूरोंत्पादन और रेशम कीट उत्पादन में उपयोग करना।

(ग) सेवाएं देना ;

(2) "निर्यात और आयात नीति" से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(आर ई-99)/1997—2002 तारीख 31 मार्च, 2000 द्वारा प्रकाशित निर्यात और आयात नीति, अप्रैल, 1997-मार्च, 2000 अभिप्रेत है :

(3) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अधीन नियुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है :

(4) "निर्यात बाध्यता से"—

(i) ऐसे आयातकर्ताओं के संबंध में, उनसे भिन्न जो सेवाएं दे रहे हैं, ऐसा निर्यात अभिप्रेत है जो इस अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार आयातित, संमजित, या विनिर्मित पूंजी माल का उपयोग करके विनिर्मित उत्पादों का भारत के बाहर किसी स्थान को निर्यात या निर्यात और आयात नीति के पैरा 10.2 के खंड (क), (ख), (घ), (ङ), (च) और (छ) के निबंधनों के अनुसार ऐसे उत्पादों का प्रदाय अभिप्रेत है, और

(ii) सेवाएं देने वाले आयातकर्ताओं के संबंध में ऐसे पूंजी मालों का उपयोग करके दी गई सेवाओं के लिए मुक्त रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी करेंसी में संदायों का प्राप्त करना अभिप्रेत है :

(5) "शुद्ध विदेशी मुद्रा" से आयातकर्ताओं की दशा में, उनसे भिन्न जो सेवाएं दे रहे हैं, इस अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार बाध्यता के उन्मोचन में निर्यातित उत्पादों के पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य घटाकर उसके विनिर्माण में प्रयुक्त निवेशों की लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य, अभिप्रेत है, जहां ऐसे निवेशों का (क) आयातकर्ता द्वारा अनुज्ञप्ति से सीधे आयात किया गया है ; या (ख) देश में उपापन किया जाता है, जिसके लिए आयातकर्ता निर्यात और आयात नीति के अध्याय 7 में अंतर्विष्ट शुल्क छूट स्कीम के अधीन पुन: पूर्ति का दावा करता है,

और उक्त विदेशी मुद्रा मुक्त रूप से संपरिवर्तनीय करेंसी में उपर्जित की जाती है।

[फा. सं. 605/7/2000-डीबीके]

संदीप आहूजा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2000

No. 49/2000-CUSTOMS

G. S. R. 365 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts goods specified in the Table annexed hereto from so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in

the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is in excess of the amount calculated at the rate of 5% ad valorem and from the whole of the additional duty and special additional duty leviable thereon respectively under sections 3 and 3A of the said Customs Tariff Act.

2. The exemption contained in paragraph 1, shall be subject to the following conditions, namely.—

(1) The goods imported are covered by a valid licence issued under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme in terms of paragraph 6.2 of the Export and Import Policy permitting import of goods at the rate of 5% duty and the said licence is produced for debit by the proper officer of the customs at the time of clearance

Provided that for the import of spare parts, the validity period of the licence shall be deemed to be the period permitted for fulfilment of the export obligation in full.

(2) The importer executes a bond in such form and for such sum and with such surety or security as may be specified by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs binding himself to fulfil export obligation equivalent to five times the CIF value of the goods imported on FOB basis, or four times the CIF value of capital goods on Net Foreign Exchange basis as specified in the licence, or for such higher sum as may be fixed by the Licensing Authority, within a period of eight years from the date of issue of licence, in the following proportions, namely :—

S.No.	Period from the date of issue of licence	Proportion of total export obligation
1	2	3
1.	Block of 1st and 2nd year	Nil
2	Block of 3rd and 4th year	15%
3	Block of 5th and 6th year	35%
4	Block of 7th and 8th year	50%

Provided that export obligation of a particular block may be set off by against the excess exports made in the said preceding blocks;

(3) the importer produces within 30 days from the expiry of each block of two years from the date of issue of licence or within such extended period as the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may allow, evidence to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs showing the extent of export obligation fulfilled, and where the export obligation of any particular block of two years is not fulfilled in terms of the preceding condition, the importer shall within three months from the expiry of the said block pay duties of customs of an equal amount equal to that portion of duties leviable on the goods but for the exemption contatined herein which bears the same proportion as the unfulfilled portion of the export obligation bears to the total export obligation together with interest at the rate of 24% per annum from the date of clearance of the goods

(4) The importer shall, if he fails to discharge a minimum of 25% of the export obligation prescribed for any particular block of two years for two consecutive blocks, be liable to pay forthwith the whole of the duties of customs leviable on the goods imported but for the exemption contatned in this notification together with interest at the rate of 24% per annum from the date of Clearance of the Goods.

(5) The capital goods imported, assembled or manufactured are installed in the importer's factory or premises and a certificate from the jurisdictional Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise or an independent Chartered Engineer, as the case may be, is produced confirming installation and use of capital goods in the importer's factory or premises, within six months from the date of completion of imports or within such extended period as the said Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may allow

Provided that in the case of,—

(i) manufacturer exporter and merchant exporter having supporting manufacturer (s)/vendor (s),

(ii) import of irrigation equipment for use in contract farming for export of agricultural products, and

(iii) importer rendering services,

The capital goods may be installed at the factory or premises of such other person whose name and address are endorsed on the licence referred to in condition (1) and where the bond for full difference of duty, if necessary, in terms of condition (2), with a bank guarantee is executed by the importer and such other person binding themselves jointly and severally to fulfil the export obligation and all other conditions of this notification and to pay duty with interest in case of default.

(6) Notwithstanding anything contained in conditions (3) and (4), where the Licensing Authority grants an extension of block-wise period or overall period of fulfilment of export obligation or regularisation of shortfall in export obligation, not exceeding 5% of such export obligation, the said block-wise period or overall period of export obligation may be extended and this said shortfall in export obligation be condoned by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs.

Provided that extension of block-wise period of export obligation shall not be allowed for more than one block of two years.

Provided further that extension of block-wise period of export obligation for the fourth block of two years shall not be allowed for more than a period of one year

3 Where the goods are found defective or unfit for use, the said goods may be re-exported back to the foreign supplier within 3 years from the date of payment of duty on the importation thereof.

Provided that at the time of re-export the goods are identified to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs as the goods which were imported.

TABLE

S. No.	Description of goods
1	2
1.	Capital goods.
2.	Capital goods in SKD/CKD condition to be assembled into capital goods by the importer.
3.	Components of capital goods required for assembly or manufacture of capital goods by the importer.
4.	Spare parts not exceeding 20% of the value of goods specified at serial Nos. 1, 2 and 3 as actually imported and required for maintenance of capital goods so imported, assembled, or manufactured.

Explanation— In this notification,—

(1) "Capital Goods" means any plant, machinery, equipment and accessories required for

(a) manufacture or production of other goods, including packaging machinery and equipments, refractories, refrigeration equipment, power generation sets, machine tools, catalysts for initial charge, and equipment and instruments for testing, research and development, quality and pollution control;

(b) use in manufacturing, mining, agriculture, marine, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, viticulture and sericulture;

(c) rendering services;

(2) "Export and Import policy" means the Export and Import Policy 1997-2002 published vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No 1 (RE-99)/1997-2002, dated the 31st March, 2000.

(3) "Licensing Authority" means the Director General, Foreign Trade appointed under Section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant a licence under the said Act;

(4) "Export obligation",—

(i) in relation to importers other than those rendering services, means export to a place outside India of products manufactured with the use of capital goods imported, assembled or manufactured in terms of this notification or making of supplies of such products in terms of Clauses (a), (b), (d), (e), (f) and (g) of paragraph 10.2 of the Export and Import Policy; and

(ii) in relation to importers rendering services, means receiving payments in freely convertible foreign currency for services rendered through the use of such capital goods;

(5) "Net foreign exchange", in relation to importers other than those rendering services, means FOB value of products exported in discharge of obligation in terms of this notification minus CIF value of inputs used in manufacture thereof where such inputs have been,—

(a) imported by the importer directly against a licance; or

(b) procured indigenously, for which the importer claims replenishment under the Duty Exemption Scheme as contained in Chapter 7 of the Export and Import Policy,

and the said foreign exchange is earned in freely convertible currency.

[F. No. 605/7/2000-DBK]

SANDEEP AHUJA, Under Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2000

सं. 50/2000—सीमाशुल्क

सा.का.नि. 366 (अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अंतिम उत्पादों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित सामग्रियों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् :—

(1) आयातकर्ता को निर्यात और आयात नीति के पैरा 7.3 (ग) के निबंधनों के अनुसार पुर्वोक्त प्रयोजनों के लिए उक्त सामग्रियों के आयात के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा माने गए निर्यातकर्ता के लिए अग्रिम अनुज्ञप्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अनुज्ञप्ति कहा गया है) मंजूर की गई है और उक्त अनुज्ञप्ति आयातकर्ता द्वारा निकासी के समय समुचित सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा विकलन के लिए प्रस्तुत की जाती है;

(2) उक्त अनुज्ञप्ति में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए पृष्ठांकन अंतर्विष्ट है:—

(क) उक्त अनुज्ञप्ति के अधीन आयात किए जाने के लिए अनुज्ञात सामग्रियों का वर्णन, मात्रा और मूल्य;

(ख) शुल्कमुक्त आयात किए जाने के लिए अनुज्ञात सामग्रियों का वर्णन और मात्रा ; और

(ग) आयातित सामग्रियों से या उससे मिल कर विनिर्माण किए जाने के लिए अंतिम उत्पादों का वर्णन और मात्रा;

(3) आयातकर्ता, आयातित सामग्री के निकासी के समय ऐसे प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति सहित और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी राशि के लिए जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, स्वयं को आबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करता है कि ऐसी छूट, जिसकी बाबत इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, यदि न दी जाए तो मांग किए जाने पर उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित उतनी रकम का संदाय करेगा, जो ऐसी आयातित सामग्री पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर हो;

(4) आयातकर्ता, उक्त सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में अंतिम उत्पादों का प्रदाय करने के लिए बाध्यता को पूरा करने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति से तीस दिवस की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो (सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त) द्वारा अनुज्ञात की जाए, मालों के प्रदाय करने की बाध्यता का उन्मोचन किए जाने के साक्ष्य प्रस्तुत करता है; और

(5) छूट प्राप्त सामग्रियों का उपयोग अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है और ऐसी सामग्रियों का कोई भाग उधार नहीं दिया जाएगा अंतरित, विक्रीत नहीं किया जाएगा या उसका किसी अन्य रीति से व्ययन नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह कि जहां ऐसे अंतिम उत्पाद, जिनकी बाबत उक्त सामग्रियों का आयात किया गया है इस अधिसूचना के अधीन यथा अपेक्षित पहले ही विनिर्माण और प्रदाय कर दिया गया है तो आयातकर्ता के लिए अन्य मालों के विनिर्माण के लिए उक्त सामग्रियों का उपयोग कर सकेगा;

(6) आयात और निर्यात, मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, कांडला, मंगलौर, मारमागोआ, चेन्नई, नावासेवा, परादीप, तूतीकोरिन, विशाखापटनम, काकीनाडा, मगडल्ला, सिक्का और पीपीभव स्थित समुद्री पत्तनों से या अहमदाबाद, बंगलौर, मुम्बई, कलकत्ता, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम और वाराणसी स्थित किसी विमान पत्तन से या बंगलौर, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, पिम्परी (पुणे), पीतमपुर (इन्दौर), आगरा, फरीदाबाद, जयपुर, गुन्टुर, नागपुर, वाराणसी, सूरत, जोधपुर, सेलम, तिरुपुर, सिधनालूर, बालूज और मालनपुर स्थित अंतरर्देशीय कण्टेनर डिपो से किया जाता है;

परन्तु यह कि सीमाशुल्क आयुक्त विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं किसी अन्य समुद्री पत्तन, विमान पत्तन या अंतरर्देशीय कण्टेनर डिपो के माध्यम से या किसी भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात अनुज्ञात कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :— इस अधिसूचना में,—

(i) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अधीन नियुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ii) "सामग्रियों" से—

(क) अंतिम उत्पादों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्रियां, संघटक, मध्यवर्ती, खपने योग्य सामग्री, कंप्यूटर साफ्टवेयर, और पूर्जे;

(ख) प्रदाय किए जाने वाले अंतिम उत्पादों की पैकिंग के लिए अपेक्षित पैकिंग सामग्रियां; अभिप्रेत हैं ;

(iii) "अंतिम उत्पादों" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) संयुक्त राष्ट्र संघठन को या संयुक्त राष्ट्र या अन्य बहुपक्षीय अभिकरणों के सहायता कार्यक्रमों के अधीन किए गए प्रदाय और जिनके लिए संदाय विदेशी मुद्रा में किया जाता है;

(ख) उन अभिकरणों/निधियों की प्रक्रिया के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के अधीन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों/निधियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को किए गए प्रदाय, जहां विधिक करारों में सीमाशुल्क को सम्मिलित किए बिना निविदा मूल्यांकन के लिए उपबंध किया गया हो;

(ग) मुक्त व्यापार जोन में एककों को और शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को (हीरक, जैम और ज्वेलरी में लगे मुक्त व्यापार जोन एककों/निर्यातोन्मुख उपक्रमों को छोड़कर) प्रदाय;

(घ) पूंजी मालों का प्रदाय, जिसके अंतर्गत असमंजित/विसमंजित स्थिति में संयंत्र, मशीनरी, उपसाधन, औजार, डाइयों में पूंजीमाल और ऐसा माल जिसका उपयोग वाणिज्यिक उत्पादन के प्रक्रम तक संस्थापन प्रयोजनों के लिए किया जाता है और उर्वरक संयंत्रों के लिए ऐसे पूंजी मालों के मूल्य की दस प्रतिशत सीमा तक अतिरिक्त पुर्जे यदि मालों का प्रदाय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी या बोली की प्रक्रिया के अधीन किया जाता है, आते हैं ;

(ङ) निर्यात और आयात नीति के पैरा 6.2 के अधीन अनुज्ञप्ति धारकों को पूंजीमालों का प्रदाय;

(च) किसी ऐसी परियोजना या प्रयोजन के लिए मालों का प्रदाय, जिसकी बाबत वित्त मंत्रालय, अधिसूचना द्वारा घरेलू प्रदायों के लिए निर्यात और आयात नीति के अध्याय 10 के अधीन फायदों के विस्तार के साथ शून्य सीमाशुल्क पर ऐसे मालों का आयात अनुज्ञात करती है;

(छ) ऊपर (च) के अंतर्गत न आने वाले विद्युत और रिफाइनरी परियोजनाओं तथा कोयला, हाइड्रोकार्बन, रेल, सड़क, पत्तन, सिविल विमानन, पुल और अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को मालों का प्रदाय, परन्तु ऐसी किसी परियोजना में न्यूनतम विनिर्दिष्ट विनिधान सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक हो;

(ज) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन स्थापित की जाने वाली रिफाइनरी को प्रदाय के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 16/2000-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2000 से उपाबद्ध सूची 9 में विनिर्दिष्ट माल;

(झ) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 16/2000-सीमाशुल्क, तारीख 10 मार्च, 2000 से उपाबद्ध सूची 33 में विनिर्दिष्ट किसी मेगा विद्युत परियोजना (इसके अंतर्गत उत्पादन और पारेषण भी है) को मालों का प्रदाय, यदि ऐसी मेगा विद्युत परियोजना,—

(1) 1500 मेगावाट या अधिक क्षमता का कोई अंतरराज्यिक तापीय विद्युत संयंत्र है; या

(2) 500 मेगावाट या अधिक क्षमता का कोई अंतरराज्यिक जलविद्युत संयंत्र है;

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित;

(ञ) भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना सं. 18 (आरई : 99)/1997—2000, तारीख 1 जुलाई, 1999 के निबंधनों के अनुसार तालचेर 2 और तालचेर 2 पारेषण परियोजनाओं को मालों का प्रदाय;

(ट) भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना सं. 25, (आरई:99)/1997—2002, तारीख 28 जुलाई, 1999 के निबंधनों के अनुसार सासाराम एच वी डी सी ईस्ट नार्थ इण्टरकनेक्टर प्रोजेक्ट को मालों का प्रदाय;

(ठ) भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना सं. 30, (आरई : 99)/1997—2002, तारीख 6 सितम्बर, 1999 के निबंधनों के अनुसार तीन डी ई सी एफ सहायता प्राप्त परियोजनाओं, अर्थात् एन.टी.पी.सी. की फरीदाबाद गैस आधारित विद्युत परियोजना, एन.टी.पी.सी. की सिम्हाद्री तापीय विद्युत परियोजना और डब्ल्यू बी पी डी सी एल की बक्रेशवर तापीय विद्युत परियोजना को मालों का प्रदाय;

(ड) भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना सं. 31, (आरई: 99)/1997—2002, तारीख 23 सितम्बर, 1999 क निबंधनों के अनुसार महाराष्ट्र विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मालों का प्रदाय;

(ढ) भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना सं. 38, (आरई:99)/1997-2002, तारीख 5 नवम्बर, 1999 के निबन्धनों के अनुसार रिहंद-सासाराम-बिहार शरीफ एच बी डी सी लिंक बैक टु बैंक स्टेशन परियोजना को मालों का प्रदाय;

(iv) "मुक्त व्यापार जोन" और "शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक" का वही अर्थ है जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण-2 में है ;

(v) "निर्यात और आयात नीति" से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1, (आरई : 99)/1997—2002, तारीख 31 मार्च, 2000 द्वारा अधिसूचित निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 अभिप्रेत है।

[फा. सं. 605/7/2000-डीबीके 5]

संदीप आहूजा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2000

NO. 50 /2000-CUSTOMS

G.S.R. 366(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts materials required for the manufacture of the final goods when imported into India, from whole of the duty of Customs leviable thereon, under the First Schedule to the Customs Traiff Act, 1975 (51 of 1975), and from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Traiff Act subject to the following conditions, namely:—

(1) that the importer has been granted Advance licence for deemed exporter (hereinafter referred to as the said licence) by the Licensing Authority for import of the said materials for the aforesaid purpose in terms of paragraph 7.3 (c) of the Export and Import Policy, and the said licence is produced by the importer at the time of clearance for debit by the proper officer of the Customs;

(2) that the said licence contains the endorsements specifying inter-alia

(a) the description, quantity and value of materials allowed to be imported under the said licence;

(b) the description and quantity of materials allowed to be imported duty free, and

(c) the description and quantity of final goods to be manufactured out of, or with, the imported materials.

(3) the importer executes a bond with such surety or security and in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs binding himself to pay on demand, an amount equal to the duty leviable on the imported materials but for the exemption contained herein, in respect of which the conditions specified in this notification have not been complied with together with interest at the rate of 24% per annum from the date of clearance of materials;

(4) that the importer produces evidence of having discharged obligation to supply goods to the satisfaction of the said Assistant Commissioner of customs or Deputy Commissioner of Customs within a period of thirty days from the expiry of the period allowed for fulfilment of obligation to supply final goods or within such extended period as the (Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs) may allow; and

(5) that the exempt materials are utilised for the manufacture of final goods and no portion of such materials shall be loaned, transferred, sold or disposed of in any other manner :

Provided that where final goods in respect of which the said materials have been imported have already been manufactured and supplied as required under this notification, the importer may use the said materials for the manufacturer of any other goods;

(6) that the imports and exports are undertaken through sea ports at Mumbai, Calcutta, Cochin, Kandla, Mangalore, Marmago, Chennai, Nhava Sheva, Paradeep, Tuticorin, Visakhapatnam, Kakinada, Magdalla, Sikka and Pipavav or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Mumbai, Calcutta, Bhubaneshwar, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Chennai, Srinagar, Trivandrum and Varanasi or through any of the Inland container Depts at Bangalore, Coimbatore, Delhi, Gauhati, Hyderabad, Kanpur, Ludhiana, Moradabad, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Agra, Faridabad, Jaipur, Guntur, Nagpur, Varanasi, Surat, Jodhpur, Salem, Tirupur, Singanallur, Waluj and Malanpur :

Provided that the Commissioner of Customs may by special order and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other sea port, airport or Inland Container Depot or through a land Customs station.

Explanation—In this notification,—

(i) "Licensing Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant a licence under the said Act;

(ii) "materials" means—

(a) raw materials, components, intermediates, consumbales, computer software and parts required for the manufacture of final goods;

(b) packing materials required for the packing of final goods to be supplied;

(iii) "final goods" means,—

(a) supplies made to the United Nations Organisation or under the aid programme of the United Nations or other multilateral agencies and paid for in foreign exchange;

(b) supplies made to projects financed by multi-lateral or bilateral agencies/Funds as notified by the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) under international competitive bidding in accordance with the procedures of those agencies/Funds where the legal agreements provide for tender evaluation without including the customs duty;

(c) supplies made to units in the free trade zones and hundred per cent export oriented units (excluding free trade zone units/export oriented undertakings engaged in Diamond, Gem and Jewellery);

(d) supply of capital goods including capital goods in unassembled/disassembled condition plant, machinery, accessories, tools, dies and such goods which are used for installation purposes till the stage of commercial production, and spares to the extent of 10% of the value of such capital goods for fertiliser plants if the supply of goods is made under the procedure of international competitive bidding;

(e) supply of capital goods to the holders of licence under paragraph 6.2 of the Export and Import Policy.

(f) supply of goods to any project or purpose in respect of which the Ministry of Finance, by a notification, permits the import of such goods at zero customs duty coupled with the extension of benefits under Chapter 10 of the Export and Import Policy for domestic supplies;

(g) supply of goods to power and refinery projects not covered in (f) above, and coal, hydro-carbon, rail, road, port, civil aviation, bridges and other infrastructure projects, provided the minimum specific investment in such a project is Rs. 10 crores or more;

(h) goods specified in List 9 appended to the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 16/2000-Customs, dated 1st March, 2000, for supply to a refinery set up under the Ninth Five Year Plan;

(i) supply of goods to any of the mega power projects (including generation and transmission) specified in List 33 appended to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 16/2000-Customs dated the 10th March, 2000 if such mega power project is,—

(1) an inter-state thermal power plant of a capacity of 1500 MW or more; or

(2) an inter-state hydal power plant of a capacity of 500 MW or more;

— as certified by an officer not below the rank of Joint secretary to the Government of India in the Ministry of Power;

(j) supply of goods to Talcher-II and Talcher-II transmission projects in terms of the Public Notice of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 18 (RE : 99)/1997—2000, dated the 1st July, 1999.

(k) supply of goods to Sasaram HVDC East-North Interconnector Project in terms of the Public Notice of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 25 (RE : 99)/1997—2002, dated the 28th July, 1999.

(l) supply of goods to the three OECF assisted projects, namely, Faridabad Gas based Power Project of NTPC, Simhadri Thermal Power Project of NTPC and Bakreshwar Thermal Power Project of WBPDCL in terms of the Public Notice of the Government of India, in the Ministry of Commerce, No. 30 (RE : 99)/1997—2002, dated the 6th September, 1999.

(m) supply of goods to the Maharashtra State Electricity Board for execution of Maharashtra Power Projects in terms of the Public Notice of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. 31 (RE : 99)/1997—2002, dated the 23rd September, 1999;

(n) supply of goods to Rihand-Sasaram-Biharsharif HVDC Link back to back Station Project in terms of the Public Notice of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. 38 (RE : 99)/1997—2002, dated the 5th November, 1999;

(iv) "free trade zone", and "hundred percent export oriented units" have the same meaning as in Explanation 2 to sub-section (1) of section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);

(v) "Export and Import Policy" means Export and Import Policy, 1997—2002, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce vide notification number 1 (RE : 99)/1997—2002, dated the 31st March, 2000.

[F. No. 605/7/2000-DBK]

SANDEEP AHUJA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2000

सं. 51/2000—सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 367(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/1997—2002, तारीख 31 मार्च, 2000 के अधीन अधिसूचित निर्यात और आयात नीति 1997—2002 के पैरा 7.2 के निबंधनों के अनुसार

जारी की गई अग्रिम अनुज्ञप्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अनुज्ञप्ति कहा गया है) के अधीन भारत में आयात की गई सामग्रियों को, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, धारा 8 और 9क के अधीन क्रमश: उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क, संरक्षण शुल्क और प्रतिपाटन शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

(i) आयात की गई सामग्री, इस अधिसचूना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मूल्य, मात्रा, वर्णन, क्वालिटी और तकनीकी लक्षणों के संबंध में शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रमाणपत्र कहा गया है) के अंतर्गत आती है;

(ii) आयातकर्ता, आयातित सामग्री के निकासी के समय ऐसे प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति सहित और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी राशि के लिए जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, स्वयं को आबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करता है कि ऐसी छूट जिसकी बाबत इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है यदि न दी जाए तो मांग किए जाने पर उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित उतनी रकम का संदाय करेगा, जो ऐसी आयातित सामग्री पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर हो :

परन्तु निर्यातबाध्यता के पूर्णत: उन्मोचन के पश्चात् किए गए आयात की बाबत बंधपत्र की आवश्यकता नहीं होगी;

(iii) आयातित माल की निकासी के समय विकलन के लिए उक्त अनुज्ञप्ति और उक्त प्रमाणपत्र समुचित सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है;

(iv) आयात और निर्यात मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, मगदल्ला, काकीनाडा, कांडला, मंगलौर मारमागोआ, मद्रास, नावासेवा, परादीप, पीपाभव, सिक्का, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम और देहेज स्थित समुद्री पत्तनों के द्वारा या अहमदाबाद, बंगलोर, भूवनेश्वर, मुंबई, कलकत्ता, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, नागपुर और कोचीन स्थित किसी विमानपत्तन द्वारा या आगरा, बंगलौर , कोयम्बटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुवाहाटी, गुण्टूर, हैदराबाद, जयपुर, जलधंर, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, नागपुर, पिम्परी (पुणे), पीतमपुर (इंदौर), सूरत, तिरुपुर, वाराणसी, नासिक, रुद्रपुर (नैनीताल), दिघी (पुणे), बड़ोदरा, दौलताबाद, (बंजारवाडी और मालीवाडा), बालूज, (औरंगाबाद), अनापर्त्थी (आंध्र प्रदेश), सेलम, मालनपुर, सिंघनालूर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, भिवाड़ी और मदुरई स्थित किसी अन्तरदेशीय कण्टेनर डिपो द्वारा या रानाघाट स्थित भूमि सीमाशुल्क स्टेशन द्वारा किया जाता है :

परन्तु सीमाशुल्क आयुक्त, विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा विहित की जाएं, किसी अन्य समुद्री पत्तन, विमान पत्तन या अंतरदेशीय कन्टेनर डिपों द्वारा या भूमि सीमाशुल्क स्टेशन द्वारा आयात और निर्यात अनुज्ञात कर सकेगा;

(v) निर्यातबाध्यता का उन्मोचन उक्त प्रमाणत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मंजूर की जाए, भाग (ङ) में यथाविनिर्दिष्ट भारत में विनिर्मित परिणामी उत्पादों का निर्यात करके किया जाता है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात परिणामी उत्पाद कहा गया है) और उक्त अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञात सामग्रियों की बाबत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 (1) (ख) या नियम 13(1)(ख) के अधीन सुविधाएं नहीं ली गई हैं;

(vi) आयातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में निर्यात बाध्यता उन्मोचन की साक्ष्य निर्यातबाध्यता के पूस करने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति से तीस दिवस की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उपसीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रस्तुत करता है।

(vii) उक्त अनुज्ञप्ति और सामग्रियों का हस्तांतरण या विक्रय नहीं किया जाएगा;

(viii) किसी वणिक निर्यातकर्ता को जारी की गई अग्रिम अनुज्ञप्ति के संबंध में,—

(क) उक्त अनुज्ञप्ति में समर्थक विनिर्माता का नाम और पता विनिर्दिष्ट किया जाता है और उक्त प्रमाणपत्र तथा शर्त (ii) के निबंधनों के अनुसार आयातकर्ता द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित बंधपत्र, वर्णित निर्यातकर्ता और समर्थक विनिर्माता द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने के लिए उन्हें संयुक्त रूप से और पृथक रूप से बाध्य करते हुए संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा; और

(ख) उक्त वणिक निर्यातकर्ता द्वारा निर्यात बांध्यता का उन्मोचन करने के लिए ऐसे समर्थक विनिर्माता के कारखाने में छूट प्राप्त सामग्रियों का उपयोग किया जाता है।

2. जहां माल दोषपूर्ण या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाते हैं वहां उक्त मालों का उनसे आयात करने पर शुल्क के संदाय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर विदेशी प्रदायकर्ता को वापस पुन: निर्यात किया जा सकेगा,

परन्तु मालों के पुन: निर्यात के समय सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह पहचान की जाती है यह वही माल है जो आयात किया गया था।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में,

(i) "अग्रिम अनुज्ञप्ति" से ऐसी अग्रिम अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए जारी की जाती है,—

(क) मालों का निर्यात, या

(ख) परिणामी उत्पाद में उपयोग के लिए मध्यवर्ती मालों का प्रदाय;

(ii) "निर्यात-आयात नीति" से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1(आर ई-99)/1997-2002, तारीख 31 मार्च, 2000 के अधीन प्रकाशित निर्यात और आयात नीति 1997-2002 अभिप्रेत है ;

(iii) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अधीन नियुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार या उक्त अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(iv) "सामग्रियों" से अभिप्रेत है—

(क) परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्रियां, संघटक, मध्यवर्ती, खपने योग्य सामग्री, उत्प्रेरक, कम्प्यूटर साफ्टवेयर और पुर्जे और जो उक्त प्रमाणपत्र के भाग ङ में विनिर्दिष्ट उक्त परिणामी उत्पाद सम्मिलित हैं;

(ख) अनुज्ञप्ति के मूल्य सीमा के दस प्रतिशत के भीतर ऐसे अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जे जिन्हें परिणामी उत्पाद के साथ निर्यात किया जाना अपेक्षित है;

(ग) परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए अपेक्षित ईंधन तेल और उत्प्रेरक; और

(घ) परिणामी उत्पाद को पैक करने के लिए अपेक्षित पैकिंग सामग्री।

अनुसूची

शुल्क छूट हकदारी प्रमाण पत्र

भाग 1

(आयात)

(इस में ———————— पृष्ठ हैं)

क्रम सं. ———————————————— (आयात जारी करने) की तारीख ————————————————————

रजिस्ट्रीकरण पत्तन ——

———————————————— (अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पूरा पता) को जारी किया गया।

उपरोक्त आयातकर्ता को ———————————————— द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्यांक ———————————— तारीख ———————————————— के आधार पर आयातित और इस प्रमाणपत्र के भाग "ग" की सूची (क) में विनिर्दिष्ट सामग्री की सूची के अंतर्गत आने वाली सामग्री, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. ———————————————— तारीख———अप्रैल———में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए सीमा शुल्क से छूट की पात्र होगी।

आयातकर्ता, उक्त अधिसूचना के निबन्धनों के अनुसार अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से ———————— मास के भीतर निर्यात बाध्यता का उन्मोचन करेगा।

माल की सीमा शुल्क से निकासी पूर्व, उक्त अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार प्रतिभू/प्रतिभूत के साथ एक बंध पत्र निष्पादित किया जाएगा।

हस्ताक्षर

अनुज्ञापन प्राधिकारी की मुद्रा

तारीख

भाग—क

उन कारखानों के नाम और पते जहां निर्यात के लिए परिणामी उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है।

भाग—ख

उन कारखानों के नाम और पते जहां परिणामी उत्पादों के सहायक उपकरणों का विनिर्माण किया जाता है।

भाग—ग

आयात की सामग्रियों की सूची

(क) इस प्रमाण पत्र के अधीन आयात किए जाने वाली सामग्री।

क्रम सं.	आयात की मद	क्वालिटी	तकनीकी लक्षण
1	2	3	4

मात्रा	लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य भारतीय रुपयों में और समतुल्य अमरीकी डालर में	भाग ड़ में परिणामी उत्पादों का क्रम संख्यांक
5	6	7

(ख) निर्यात उत्पाद में उपयोग की जाने वाली अन्य आयातित सामग्री

क्रम सं.	वर्णन	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4

भाग—घ

क्रम सं.	भाग "ग" में की सामग्री का सं.	प्रवेश पत्र संख्यांक, तारीख और आयात सीमा शुल्क सदन	वर्णन	मात्रा और शुद्ध भार
1	2	3	4	5

लागत, बीमा और भाड़ा	यदि छूट न होती तो उद्ग्रहणीय शुल्क, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 की पहली अनुसूची की शीर्ष सं. और अतिरिक्त शुल्क के उद्ग्रहण के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में शीर्ष सं.	शुल्क की दर	शुल्क की रकम	नाम, पद नाम और मुद्रासहित सीमा शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर
6	7	8	9	10

(भाग ङ और च कृपया भाग 2 में देखें)

भाग—छ

ऐसी सामग्री पर संदत्त शुल्क जिसकी बाबत उक्त अधिसूचना की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है।

क्रम सं.	भाग घ में क्रम सं. जिसके अधीन सामग्री के आयात की प्रविष्टि की गई है	उस सामग्री का वर्णन, मात्रा और मूल्य, जिस पर शुल्क संदत्त किया गया है	उद्ग्रहणीय शुल्क की दर (i) आधारिक (ii) अतिरिक्त
1	2	3	4

आयात पर संदत्त अतिरिक्त शुल्क	(i) शुल्क में अन्तर (ii) ब्याज की रकम	उन दस्तावेजों की विशिष्टियों जिनके द्वारा शुल्क दिया गया	सीमा शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर
5	6	7	8

शुल्क छूट हकदारी प्रमाण पत्र

भाग 2

II (निर्यात)

(इसमें ———————— पृष्ठ हैं)

क्रम सं. ———————————— (निर्यात) जारी करने की तारीख ————————————————

रजिस्ट्रीकरण पत्तन ———————————————————————— को जारी किया गया (अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पूरा पता) ।

उपरोक्त अनुज्ञप्तिधारी को, ———————————— द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्यांक ———————— तारीख ———————————— के आधार पर आयातित और इस प्रमाणपत्र के भाग "ग" की सूची (क) में विनिर्दिष्ट सामग्री की सूची के अंतर्गत आने वाली सामग्री, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. ———————————— तारीख----------अप्रैल 2000 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए आधारिक सीमा शुल्क से छूट की पात्र होगी।

अनुज्ञप्तिधारी उक्त अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से ———————— मास के भीतर निर्यात बाध्यता का उन्मोचन करेगा।

माल की सीमा शुल्क से निकासी से पूर्व, उक्त अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार प्रतिभू/प्रतिभूति के साथ एक बंध पत्र निष्पादित किया जाएगा।

हस्ताक्षर

अनुज्ञापन प्राधिकारी की मुद्रा

तारीख

भाग—क

उन कारखानों के नाम और पते जहां परिणामी उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है।

भाग—ख

उन कारखानों के नाम और पते जहां परिणामी उत्पादों के सहायक उपकरणों का विनिर्माण किया जाता है।

(भाग ग और भाग घ, इस डी ई ई सी के निर्यात भाग में दिए गए हैं)

भाग—ङ

परिणामी उत्पाद

क्रम सं.	वर्णन	क्वालिटी	तकनीकी लक्षण
1	2	3	4

मात्रा	पोत पर्यान्त नि:शुल्क मूल्य रुपयों में/अमरीकी डालरों में	भाग ग में सामग्री की क्रम सं
5	6	7

भाग—च

निर्यात/प्रदाय की विशिष्टियां

क्रम सं.	भाग ड़ में परिणामी उत्पाद की क्रम सं.	पोत परिवहन के सीमा शुल्क सदन का नाम	पोत परिवहन पत्र सं. और तारीख	जलयान का नाम और जलयान की बर्हिगमन प्रविष्टि
1	2	3	4	5

मात्रा	उत्पाद का शुद्ध भार	पोत परिवहन पत्र के अनुसार वर्णन	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य रुपयों में/अमरीकी डालरों में	नाम, पदनाम और मुद्रा सहित सीमा-शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर और टिप्पणियां, यदि कोई हो
6	7	8	9	10

भाग—ज

किए गए आयात और निर्यात/प्रदाय का विवरण

अनुज्ञप्ति का प्रकार	अनुज्ञप्ति सं.	तारीख
----------	----------	----------
----------	----------	----------

किए गए आयात के ब्यौरे

क्रम सं.	भाग ग की क्रम सं.	वर्णन	आयातित मात्रा	लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य रुपयों में/समतुल्य अमरीकी डालर में
1	2	3	4	5

किए गए निर्यात के ब्यौरे

क्रम सं.	भाग ड़ की क्रम सं.	वर्णन	निर्यातित मात्रा	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य रुपयों में/समतुल्य डालर में
1	2	3	4	5

1. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस विवरण में दी गई जानकारी सही है।

2. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 (1) (ख) या नियम 13 (1) (ख) के अधीन इस डी ई ई सी के अधीन किए गए निर्यातों की बाबत कोई फायदा नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पदनाम

पूरा पता

चार्टर्ड एकाउटेंट/लागत लेखापाल द्वारा प्रमाण पत्र

मैंने आवेदक फर्म के वास्तविक आयात और निर्यात की, जो ऊपर दिया गया है, जांच की है और उसे सही पाया है।

हस्ताक्षर

मुद्रा

सदस्यता सं.

[फा. सं. 605/7/2000 डी बी के]

संदीप अहूजा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2000

No. 51/2000-Customs

G.S.R. 367 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials imported into India, against an Advance Licence issued in terms of paragraph 7.2 of the Export and Import Policy 1997-2002, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce vide notification No. 1/1997-2000 dated the 31st March, 2000 (hereinafter referred to as the said licence), from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and from the whole of the additional duty, safeguard duty and anti/dumping duty leviable thereon respectively under sections 3, 8, and 9A of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely :—

(i) that the materials imported are covered by Duty Exemption Entitlement Certificate (hereinafter referred to as the said certificate), issued by the Licensing Authority in the form specified in the Schedule annexed to this notification, in respect of the value, quantity, description, quality and technical characteristics;

(ii) that the importer at the time of clearance of the imported materials executes a bond with such surety or security and in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy commissioner of Customs binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification have not been complied with, together with interest at the rate of twenty four percent per annum from the date of clearance of the said materials,

Provided that the bond shall not be necessary in respect of imports made after the discharge of export obligation in full.

(iii) that the said licence and the said certificate are produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit;

(iv) that the imports and exports are undertaken through sea ports at Mumbai, Calcutta, Cochin, Magdalla, Kakinada, Kandla, Mangalore, Marmagoa, Madras, Nhava Sheva, Paradeep, Pipavav, Sikka, Tuticorin Visakhapatnam and Dehej or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Mumbai, Calcutta, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Madras, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Nagpur and Cochin or through any of the Inland Container Depots at Agra, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jallandhar, Kanpur, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Surat, Tirupur, Varanasi, Nasik, Rudrapur (Nainital), Dighi (Pune), Vadodara, Daulatabad, (Wanjarwadi and Maliwada), Waluj (Aurangabad), Anaparthy (Andhra Pradesh), Salem, Malanpur, Singanalur, Jodhpur, Kota, Udaipur, Ahmedabad, Bhiwadi and Madurai or through the land Customs Station at Ranaghat

Provided that the Commissioner of customs may be special order and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other Seaport, Airport, or Inland Container Depot or through the land Customs Station.

(v) that the export obligation is discharged within the period specified in the said certificate or within such extended period as may be granted by the Licensing Authority by exporting resultant products manufactured in India which are specified in part 'E' of the said certificate (hereinafter referred to as as resultant products) and in respect of which facility under rule 12(1) (b) or rule 13 (1) (b) of the Central Excise Rules, 1944 has not been availed in respect of materials permitted under the said licence;

(vi) that the importer produces evidence of discharge of export obligation to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs within a period of 30 days of the expiry of period allowed for fulfilment of export obligation, or within such extended period as the said Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may allow;

(vii) that the said licence and the materials shall not be transferred or sold;

(viii) that in relation to an Advance Licence issued to a merchant Exporter,—

(a) the name and address of the supporting manufacturer is specified in the said licence and the said certificatie and the bond required to be executed by the importer in terms of condition (ii) shall be executed jointly by the Marchant Exporter and the supporting manufacturer binding themselves jointly and severally to comply with the conditions specified in this notification; and

(b) exempt materials are utilised in the factory of such supporting manufacturer for discharge of export obligation by the said merchant exporter

2. Where the goods are found defective or unfit for use, the said goods may be re-exported back to the foreign supplier within 3 years from the date of payment of duty on the importation thereof,

Provided at that the time of re-export the goods are identified to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs as the goods which were imported.

Explanation.—In this notification,

(i) "Advence Licence" means an advance licencse issued for,—

(a) export of goods, or

(b) supply of intermediate goods for use in resultant product;

(ii) "Export Import Policy" means the Export and Import policy 1997—2002, published vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce no. 1 (RE-99)/1977—2002 dated the 31st March, 2000;

(iii) "Licensing Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant a licence under the said Act.

(iv) "Materials" means—

(a) raw material, components, intermediates, consumables, catalysts, computer software and parts required for manufacture of resultant product and which are incorporated in the said resultant product specified in Part E of the said certificate;

(b) mandatory spares within a value limit of 10% of the value of the licence which are required to be exported alongwith the resultant product;

(c) fuel, oil and catalysts required for manufacture of resultant product; and

(d) packing materials required for packaging of resultant product.

SCHEDULE

DUTY EXEMPTION ENTITLEMENT CERTIFICATE

PART-1

(IMPORT)

(This consists of .. ..pages)

Sl. No..... .. ..(IMP) Date of issue..... .....

Port of registration.... ....

Issued to . . ..

Materials imported against licence No. (name and full address of the licencee) dated.....issued by... .... to the above licencee and covered by the list of materials specified in list (a) of Part 'C' of this certificate would be eligible for exemption from customs duties subject to the conditions specified in the notification of the Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue No. . ... .Customs, dated the April, 2000.

The importer shall discharge the export obligation in terms of the said notification within..... .....months from the date of issue of licence.

A bond with security/surety in terms of the said notification shall be executed before clearance of the goods from the Customs

Signature

Seal of licensing authority

Date

PART–A

Names and addresses of the factories where the resultant products for export are manufactured.

PART–B

Names and addresses of factories where the ancillaries to the resultant products are manufactured.

PART–C

List of materials of import

(a) MATERIALS TO BE IMPORTED UNDER THIS CERTIFICATE

Sl. No.	Item of import	Quality	Technical Characteristics
1	2	3	4

Quantity	CIF value in Indian Rs. and in equivalent US$	S. No of the resultant products in Part E
5	6	7

(b) OTHER IMPORTED MATERIALS TO BE USED IN EXPORT PRODUCT

Sl. No.	Description	Quantity	Value
1	2	3	4

PART– D

Particulars of import of materials

Sl. No	No. of the materials in Part-C	Bill of Entry No. date and Customs House of Import.	Description	Quantity and net weight
1	2	3	4	

CIF Value	Duty leviable but for exemption Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and Heading No. in the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 for levy of Additional Duty	Rate of Duty	Amount of duty	Signature of the Customs Officer with Name, Designation and seal.
6	7	8	9	10

(For Part E and F, please see part 2)

PART–G

Duties paid on materials in respect of which the condition of said notification are not complied with

Sl. No.	Sl No. in Part D under which the import of the materials has been entered	Description, quantity and value of materials on which duty paid	Rate of duty leviable (i) Basic (ii) Additional	Additional duty paid on import
1	2	3	4	5

Amount of (i) Duty difference (ii) Interest	Particulars of duty paying documents	Signature of the Customs Officer
6	7	8

DUTY EXEMPTION ENTITLEMENT CERTIFICATE

PART–2

II. EXPORTS

(This consists of . . . . . .Pages)

Sl No.. . . . .(EXP) Date of Issue. . . . .

Port of Registration. . . . .

Issued to

. . . .

. . . . (Name and full address of

. . . . the licence)

Materials imported against Licence No . . .dated . . . . .issued by. . . . . .to the above licence and covered by the list of materials specified in list (a) of part 'C' of the certificate would be eligible for exemption from Basic Customs duty subject to the conditions specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No 31/97—Customs, dated the April, 2000

The licence shall discharge the export obligation in terms of the said notification within . . . . months from the date of licence.

A bond with surety/security in terms of the said notification shall be executed before clearance of t goods from customs.

Signature

Seal of licensing authority

date

PART–A

Names and address of the factories where the resultant products are manufactured.

PART–B

Names and addresses of the factories where the ancillaries to the resultant products are manufactured.

(Part C and D figures in the Imports part of of this DEEC)

PART–E

Resultant products

Sl. No.	Description	Quality	Technical characteristics
1	2	3	4

Quantity	FOB value in Rs. /US$	Sl. No. of the materials in Part-C
5	6	7

PART-F

Particulars of exports/supply

Sl. No.	Sl. No. of the resultant product in Part E.	Name of the Customs House of Shipment	Shipping Bill No. and date	Name of the vessel and outward entry of the vessel
1	2	3	4	5
Quanlity	Net weight of the product	Description as per the Shipping Bill	FOB Value in Rs./ US$	Signature of Customs Officers with name, designation and seal and remarks if any
6	7	8	9	10

PART H

Statement of imports and exports/supply made.

Type of licence	licence No.	Date
....	....	....
... .	....	.....

Details of imports made.

Sl No	Sl. No. Part C	Description	Quantity imported	FOB value Rs./:n equivalent US$

1	2	3	4	5
Details of Exports made				
Sl. No	Sl. No. in Part E	Description	Quantity imported	FOB value Rs /in equivalent US$
1	2	3	4	5

1. I/We hereby declared that information given in this statement is correct.

2 I/We hereby declares that no benefit under rule 12 (1) (b) or rule 13 (1) (b) of Central Excise Rules, 1944 has been availed in respect of exports made under this DEEC.

Signature .....

Name of the Signatory .....

Designation .....

Full Address .....

Certificate of Chartered Accountant/Cost Accountant.

I have examined the applicant firm's actual imports and exports as given above and find them as correct.

Signature .....

Seal .....

Memebership No. .....

[F. No. 605/7/2000-DBK]

SANDEEP AHUJA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, D -110054 —2000